

# कार्यालय नगरपालिका परिषद बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.)

क्रमांक/एफ- /आ.नि.सू./रा. शा./न.पा.प.बाला./2020/10046

बालाघाट दिनांक 09/03/2020

## निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2021 अर्थात 12 माह के लिये नगरपालिका द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तों के अधीन दैनिक बैठकी बाजार, साप्ताहिक बाजार, सरेखा बाजार, अस्थाई दखल वसूली तथा बस स्टेण्ड/वाहन विराम शुल्क वसूली के अधिकार संविदा पर निविदा के माध्यम से दिनांक 23/03/2020 को बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती हैं। दिनांक 23/03/2020 को दोपहर 4.00 बजे तक निविदा जमा कि जा सकती हैं।

इच्छुक संविदाकार अपनी निविदा पत्र के साथ वर्णित अमानत राशि एवं आवश्यक प्रपत्रों के साथ संलग्न कर जमा करें।

क्रं	ठेके का नाम	वसूली का क्षेत्र	सरकारी बोली	अमानत राशि	निविदा जमा तिथि व समय	स्थान
1	दैनिक बैठकी बाजार, साप्ताहिक बाजार, सरेखा बाजार, अस्थाई दखल वसूली	न.पा.सीमा क्षेत्र	22,08,267=00	5,52070=00	23/03/2020 शाम 4.00 बजे तक	नगर पालिका परिषद बालाघाट के आवक शाखा में जमा करें
2	बस स्टेण्ड शुल्क/वाहन विराम शुल्क (प्राईवेट/अनुबंधित बस से वसूली)	सम्पूर्ण बस स्टेण्ड, क्षेत्र एवं ट्रामा सेंटर के आसपास का क्षेत्र	11,49,529=00	2,87,383=00		

- टीप- (1) संविदाकार को निविदा के साथ को नगरपालिका के पक्ष में देय निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक एवं परिचय पत्र एवं पेनकार्ड आयकर चुकता प्रमाण पत्र तथा बैंक सालवंशी प्रमाण पत्र जो सरकारी बोली का पचास प्रतिशत से कम न हो (नवीनकृत) संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
- (2) वसूली की विस्तृत शर्त, वसूली की दर, वसूली क्षेत्र की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती हैं।
- (3) निविदा में प्राप्त उच्चतम दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नगरपालिका परिषद बालाघाट का होगा। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नगरपालिका परिषद बालाघाट का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

दीपक आर्य

प्रशासक महोदय

नगरपालिका परिषद बालाघाट

दिनेश बाघमारे

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद बालाघाट

पृ. क्रमांक/एफ- /आ.नि.सू./रा. शा./न.पा.प.बाला./2020/10047

बालाघाट दिनांक 09/03/2020

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संनचानालय म.प्र. भोपाल।
- कलेक्टर एवं जिला एवं दण्डाधिकारी जिला बालाघाट के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- पुलिस अधीक्षक बालाघाट।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संगम जबलपुर।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
- तहसीलदार बालाघाट के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण बालाघाट के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- श्री खेलीराम दै.वे.क. नगरपालिका परिषद बालाघाट को ध्वनि विस्तारक यंत्र से मुनादी करने हेतु।
- नगरपालिका परिषद बालाघाट, वारासिवनी, मलाजखण्ड/नगरपंचायत कंटगी/बेहर/लांजी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- संपादक- समाचार पत्र कृपया उक्त आम सूचना का प्रकाशन एक दिन कम से कम में प्रकाशित कर समाचार की 03 प्रतियों के साथ देयक दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

OK

g/sarangi  
nno/sarangi

- सुलारवे

- पुलक  
- बालाघाट

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद बालाघाट  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)